प्रश्न सं. [क्र. 1251]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1251 प्रश्नांश ख

वर्ष 2007–8 से 2017–18 तक योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से रू. 334.32 करोड अनुदान के रूप में प्राप्त हुये। परिषद द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को प्रस्तुत किये गए। परंतु विभिन्न वार्षिक लेख में देखा गया कि वर्ष के अंत में भी परिषद् के पास विभिन्न योजनाओं की राशि शेष थी।

चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा तैयार वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखे की जांच से प्रकट हुआ कि परिषद के बैंक खाते मे रुपये 23.30 करोड़ (बे ज इंदा) स्टेट ऑफिस के खाते में जमा हैं। रू 23.30 करोड में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से वर्ष 2007–08 से 2017–18 तक अनुदान के रूप में प्राप्त राशि में से बचत/शेष रू 20.80 करोड़ शामिल हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

1- Fund for administration रू 5,36,55,894–00
2- Statistics Department रू 11,30,48,837–00
3- Prasfutan रू 35,91,950–00
4- Navakur रू 5,75,000-00
5- Samradhi रू 3,63,14,778-00
6- Samvad रू 7,15,723-00
7- Vistar रू 1,37,450-00

उपयोगिता प्रमाण जी.एफ.आर. – 19 में तैयार नहीं किये गये हैं एवं गठन वर्ष से 2009–10 तक के उपयोगिता प्रमाण–पत्र लेखा परीक्षा हेतु परिषद द्वारा अभिलेखों में उपलब्ध नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। वर्ष 2010–11 से 2017–18 तक उपयोगिता प्रमाण पत्रों में दर्शाया गया है कि समस्त प्राप्त राशि का उपयोग शत–प्रतिशत कर लिया गया है। परंतु वर्ष 2017–18 के वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त अनुदान के रूप में प्राप्त राशि में से बचत/शेष रू 20.80 करोड़ थे। इससे स्पष्ट है कि कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किये गये उपयोगिता प्रमाण–पत्र असत्य थे। वार्षिक लेखों में योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से प्रतिवर्ष प्राप्त अनुदान की राशि अलग से दिखाई जाती हैं परंतु इस राशि का उपयोग जिन मदों में किया गया है उन पर व्यय का विवरण पृथक से दर्शाया नहीं गया है जिससे अनुदानों के विरूद्ध वास्तविक व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक के अवधि के जनअभियान को योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से प्राप्त सहायक अनुदान के संबंध में दिए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए, इससे उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

परिषद् के वित्तीय विवरण के अनुसार इस अवधि में प्राप्त अनुदान एवं किए गए व्यय का निम्नानसार है–

(रू लाख में)

स.क.	वर्ष	कुल सहायक अनुदान	कुल व्यय
1	2006–07	67.50	19.97
2	2007–08	543.00	225.95
3	2008–09	700.00	805.65
4	2009–10	1900.00	1746.34
	योग	3210.50	2797.91

इस प्रकार परिषद् द्वारा वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक के चार वर्षों में प्राप्त अनुदान रू 32.11 करोड़ के विरूद्ध किए गए व्यय रू 27.98 करोड के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

टॉस्क
क्षमता निर्माण सेल
म.प्र. जन अभियान परिषद

Scanned by CamScanner

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर उत्तर में बताया गया कि संचालनालय को उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य कार्यालय द्वारा संभाग/जिला कार्यालयों को राशि के हस्तांतरण के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। जन अभियान परिषद् द्वारा आगामी तीन माह के प्रशासनिक गतिविधि के व्यय के अनुमान के अधार पर उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए हैं। इस आधार पर उपयोगिता दर्शाई गई है। प्राप्त राशि का अलग से व्यय दर्शाया जावे इस हेतु भविष्य के वार्षिक लेखा में सुधार किया जावेगा। परिषद् के गठन से वित्तीय वर्ष 2009–19 तक के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर उपलब्ध कराने का आवश्वासन दिया गया।

(अ) वर्ष 2010–11 से 2017–18 तक के उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार के संबंध में परिषद् द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रपत्र जी.एफ.आर–19 में तैयार नहीं किए गए तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र में अनुदान के विरूद्ध अव्ययित राशि को दर्शाया नहीं गया।

(ब) वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक के उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर उत्तर में बताया गया कि गठन वर्ष से 09–10 तक की जानकारी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है, लेखापरीक्षा में उपरोक्त वर्ष 2008–07 से 2009–10 तक के उपयोगिता प्रमाण विभाग को प्रेषित किए जाने की पुष्टि हेतु अभिलेखों की प्रति वांछित रहेंगे।

म.प्र. जन अभियान परिषद् यो.आ.सां.विभाग की अनुदान प्राप्त संस्था है, विभाग से प्राप्त अनुदान द्वारा ही परिषद् के गतिविधि व प्रशासकीय व्ययों का सचांलन किया जाता है। संचालनालय आर्थिक, सांख्यिकी विभाग द्वारा राशि आवंटन किया जाता है जन अभियान परिषद् का संचालन राज्य/संभाग/जिला कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है, तथा राशि राज्य कार्यालय द्वारा संभाग/जिला कार्यालय को आवंटन उपरान्त राज्य स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में संभाग/जिले की शेष राशि की गणना कर उपरोक्त राशि को आगामी वर्ष की गतिविधि/प्रशासकीय व्यय में सम्मिलित किया जाता है, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष के प्रथम त्रैमास मे राशि प्राप्त होने मे विलम्ब की स्थिति बनती है उस अवधि मे पूर्व के वर्ष की शेष राशि से गतिविधियो का संचालन हो पाता है अतः दिया गया उपयोगिता प्रमाणपत्र असत्य नही है इस प्रकार पूर्ण कार्यवाही कार्यकारिणी सभा/शासी निकाय के समक्ष रखा जाता है, एवं सी.ए.द्वारा आडिट रिपोर्ट में भी इसका स्पष्ट उल्लेख रहता है।

परिषद् द्वारा शासन को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्मेट उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये गये ,जिसे शासन द्वारा मान्य किया जाकर आगामी अनुदान उपलब्ध कराया गया। भविष्य में लेखा परीक्षा में दिए निर्देश अनुसार ही जी.एफ.आर.–19 में तैयार किये जायेंगे।

लेखापरीक्षा दल द्वारा 31 मार्च 2018 को दिये गये 20.80 करोड के शेष के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंतिम तिमाही में प्राप्ते लगभग 27.8 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे जो कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिये गये है।

टॉस्क मैनेजर
क्षमता निर्माण सेल (हार्ड स्किल)
म.प्र. जन अभियान परिषद्

Scanned by CamScanner